

श्री राजेश कुमार, भा.प्र.से. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया की अध्यक्षता में दिनांक 19.05.2025 को पूर्णिया समाहरणालय सभागार में किये गये सुरक्षा व्यवस्था एवं अन्य विभागीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

सर्वप्रथम उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् पूर्णिया जिला के महानंदा सभागार में एजेंडा के अनुसार उच्च स्तरीय बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

उपस्थिति:- बैठक में जिला पदाधिकारी, श्री कुंदन कुमार, पुलिस अधीक्षक, श्री कार्तिकेय कुं0 शर्मा विंग कमांडर, एयर फोर्स, पुलिस उप महानिरीक्षक, एस0एस0बी0 सहित अपर समाहर्ता, पूर्णिया, अपर समाहर्ता, PGRO, उप विकास आयुक्त, नगर आयुक्त, नगर निगम, कमान्डेंट, सीमा सुरक्षा बल, सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी, सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, सिविल सर्जन, सभी कार्यपालक अभियंता, प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, सिविल डिफेंस, जीविका एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में मुख्य रूप से जिले के प्रशासनिक कार्यों के साथ-साथ सुरक्षा व्यवस्था, भूमि सुधार, आपदा प्रबंधन, नागरिक सुविधाएं, महिला सशक्तिकरण एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गयी।

1. **Border Security** - पूर्णिया जिले का सीमा अंतराष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ नहीं है किन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए अररिया तथा किशनगंज जिले के अंतराष्ट्रीय बॉर्डर प्रमंडल के अंतर्गत आने के कारण विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि पूर्णिया जिले में नियमित रूप से पेट्रोलिंग तथा औचक वाहन जाँच किया जाय। सभी संबंधित थानाध्यक्ष, अंचल अधिकारी तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि आपसी समन्वय स्थापित कर चौकीदारों एवं संबंधित अधिकारियों को सक्रिय करते हुए सतत निगरानी रखेंगे।

विंग कमांडर, चुनापूर एयरफोर्स स्टेशन द्वारा दो समस्या बतायी गयी। प्रथम समस्या एयरपोर्ट की ओर जाने वाली सरकारी सड़क पर अस्थायी अतिक्रमण से संबंधित है। इस संबंध में अंचल अधिकारी, के0 नगर द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा स्थलीय जाँच कराकर सरकारी सड़क की मापी करा ली गयी है तथा अब कोई अतिक्रमण नहीं है। अंचल अधिकारी, के0 नगर को प्रासंगिक सरकारी सड़क को सुरक्षा के दृष्टिकोण से अतिक्रमण मुक्त रखने का निदेश दिया गया। विंग कमांडर द्वारा अंकित दूसरी समस्या यह है कि चुनापूर एयरपोर्ट परिसर में अवस्थित सड़क का उपयोग स्थानीय लोगों द्वारा नियमित रूप से किया जाता है। तथा यह कि भविष्य में एयरपोर्ट का बाउंड्री वॉल निर्माण होने की स्थिति में लोगों द्वारा विरोध आदि किया जा सकता है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी, पूर्णिया को यथोचित समाधान करने का निदेश दिया गया।

बैठक में पुलिस उप महानिरीक्षक, एस0एस0बी0, पूर्णिया उपस्थित हैं। उनके द्वारा अररिया एवं किशनगंज जिले में भारत-नेपाल बॉर्डर पर एस0एस0बी0 यूनिट को निगरानी में आ रही समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया। उनके द्वारा मुख्य रूप से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण तथा SSB infrastructure सुदृढीकरण हेतु अतिरिक्त जमीन के लंबित मामले का जिक्र किया गया। इस संबंध में किशनगंज एवं अररिया जिले के समीक्षात्मक बैठक में उपरोक्त बिन्दुओं पर कार्रवाई का निदेश संबंधित जिला पदाधिकारी को दिया गया है। इसके अतिरिक्त पुलिस उप महानिरीक्षक, एस0एस0बी0 द्वारा कतिपय मामलों में अररिया जिले में भू-अर्जन के भुगतान लंबित रहने की बात बतायी गयी। इस संबंध में जिला पदाधिकारी, अररिया को निदेशित किया जाए।

(अनुपालन-जिला पदाधिकारी, पूर्णिया/जिला पदाधिकारी, अररिया/पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया)

2. **Civil Defence** - पूर्णिया जिला के Civil Defence Volunteer के लिए Scout Guide, NCC, नेहरू युवा केन्द्र तथा अन्य स्वयंसेवी समूहों के माध्यम से वॉलंटियर्स चयनित करने का निदेश दिया गया। इस कार्य में वार्ड सदस्य, जन प्रतिनिधि तथा Civil Society को शामिल किया जाय। चयनित वॉलंटियर्स का सत्यापन पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाय तथा सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स के लिए अलग-अलग संगठनों के साथ बैठक कर चयन की रूपरेखा तैयार करने हेतु दिशा-निर्देश दिया गया। सायरन क्रय के संबंध में निदेश दिया गया कि जिला

पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक संयुक्त रूप से स्थल तथा Specification निर्धारित करेंगे। नियमानुसार क्रय की कार्रवाई शीघ्र की जाय। Satellite Phone के उचित उपयोग हेतु जिला/पुलिस प्रशासन के वरीय स्तर पर आवंटित करने का निदेश दिया गया।

महानिदेशक -सह- आयुक्त, नागरिक सुरक्षा, बिहार पटना के पत्रांक-356, दिनांक -13.05.2025 में दिये गये निदेशों का अनुपालन एक माह के अन्दर करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:-जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी, सिविल डिफेंस)

3. महिला संवाद, डॉ अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान तथा नगर निकाय अंतर्गत सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की समीक्षा की गयी। महिलाओं की आकांक्षाओं पर आधारित प्रमुख बिन्दुओं की रिपोर्ट तैयार कर भेजने का निदेश दिया गया। डॉ0 अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान की समीक्षा की गयी। प्राप्त आवेदनों की संख्या-36023 में से निष्पादित आवेदनों की संख्या-9373 है, जो 26.02 प्रतिशत है। इसके तहत प्राप्त आवेदनों पर समुचित रूप से कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

उच्च स्तर पर समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि महिला संवाद तथा डॉ0 अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान में कुल 114 शिविरों में उपस्थित शिविर प्रभारी का प्रतिशत 78.95 है तथा पंचायत कर्मियों की उपस्थिति का प्रतिशत मात्र 38.83 है, जो खेदजनक स्थिति है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी को आवश्यक जाँच पड़ताल करने का निदेश दिया गया। शिविरों में प्राप्त आवेदनों का निष्पादन ऑन द स्पॉट करते हुए सभी वंचित पात्रता प्राप्त लाभुकों को आच्छादित करने का निदेश दिया गया।

4. **राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग :-** सैरात बंदोबस्ती, परिमार्जन प्लस, अभियान बसेरा-2, जमाबंदी का आधार लिंकिंग, सरकारी जमीन की जमाबंदी, वर्ष 2000 के पूर्व लंबित राजस्व वादों का निष्पादन, 0-5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने के लंबित मामले, भू-अर्जन के लंबित मामले तथा पूर्णिया एयरपोर्ट निर्माण की प्रगति की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गयी। अभियान बसेरा-2 के तहत पूर्णिया जिला अंतर्गत सभी प्रखंडों का सर्वे कार्य तथा वंचितों को भूमि उपलब्ध कराने की समीक्षा की गयी। पात्र लाभुकों को यथाशीघ्र भूमि उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि अभी भी अंचल अधिकारियों के स्तर से आवश्यक गंभीरता का अभाव है। पूर्व में दिये गये निदेश के आलोक में अंचल अधिकारियों से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करने का निदेश दिया गया था। किन्तु यह पाया गया कि इस संबंध में अभी तक यथोचित कार्रवाई नहीं की गयी है। इस संबंध में अपर समाहर्ता को सभी अंचल अधिकारियों से प्राथमिकता के आधार पर प्रमाण-पत्र 15 दिनों के अंदर प्राप्त करने का निदेश दिया गया। परिमार्जन प्लस के तहत अस्वीकृत आवेदनों पर कारण सहित आदेश अंकित करने का निदेश दिया गया। बाढ़ कटाव पीड़ित परिवारों को पुनर्वासन हेतु जमीन उपलब्ध कराने की गति काफी धीमी है। कटाव पीड़ित परिवारों के पुनर्वास हेतु जमीन चिन्हित कर प्रस्ताव तैयार करने की कार्रवाई 1 माह में पूरा करने का निदेश दिया गया। संबंधित अपर समाहर्ता इस पर विशेष ध्यान देते हुए नियमानुसार समुचित रूप से प्रस्ताव तैयार कराते हुए अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे।

समीक्षा में पाया जा रहा है कि कई सैरातों में विभागीय वसूली की जा रही है। तथा यह कि विभागीय वसूली में सुरक्षित जमा की राशि से काफी कम राशि की वसूली दिखायी जा रही है। समीक्षा में यह बिन्दु आया है कि विभागीय वसूली में सैरात/हाट के चिन्हित स्थल का नियमित उपयोग करने वाले लोगों से बन्दोवस्तदार की भांति वास्तविक अनुमान्य किराया की वसूली नहीं हो रही है। जिसके कारण विभागीय वसूली प्रभावित होता है। इस प्रकार की स्थिति के लिए संबंधित राजस्व कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी/अपर समाहर्ता को निदेश दिया गया कि विगत दो वर्षों में ऐसे मामलों को चिन्हित करते हुए संबंधित राजस्व कर्मचारी से स्पष्टीकरण प्राप्त करेंगे तथा जिम्मेवारी निर्धारित करते हुए कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन:- जिला पदाधिकारी/अपर समाहर्ता/भूमि सुधार उप समाहर्ता/सभी अंचल अधिकारी)

5. **राजस्व पर्षद :-** नीलाम पत्र वादों का निष्पादन, राशि वसूली की प्रगति, राजस्व न्यायालय में वादों की स्थिति तथा मासिक प्रगति की समीक्षा की गयी। दिनांक 15.05.2025 को राजस्व पर्षद की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण दिशा-निदेश प्राप्त हुए हैं। जैसे-नीलाम पत्र वाद में Requisition authority, Certificate officers,

Enforcement authority (Police Officers) तीनों अंगों के बीच समन्वय, Certificate officers द्वारा वादों की सुनवाई एवं निस्तारण, बड़े बकाये वाले वादों की Monitoring, 50-50 Highest demand वाले वादों का Monitoring, BW में फिर से तत्काल एक सप्ताह के लिए दिनांक 19.05.2025 से warrant week प्रारंभ करने सहित अन्य निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

6. पुलिस विभाग:-

• **विधि व्यवस्था संधारण:-** विधि व्यवस्था के संबंध में निदेश दिया गया है कि जिला अन्तर्गत सभी महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील स्थल यथा एयरबेस, रेलवे स्टेशन, दूरसंचार केन्द्र, पावर सब-स्टेशन, महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल का निरीक्षण कर लें। QRT Team का गठन कर सक्रिय अवस्था में रखें, ताकि आकस्मिक एवं आपातकालीन परिस्थिति से निपटा जा सके। थानाध्यक्षों को नियमित रूप से क्षेत्र में गश्ती करने का निदेश दिया गया। साथ ही अन्य जिले से सटे क्षेत्र में विशेष गश्ती अभियान संचालित करें तथा जगह जगह वाहनों की चेकिंग भी संचालित किया जाय।

(अनुपालन:- जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक)

• **आसूचना संग्रह:-** अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि नियमित रूप से थाना स्तर पर चौकीदारों तथा अन्य स्रोतों से हो रही गतिविधियों का सूचना संग्रहण करेंगे। साथ ही, असामाजिक तत्वों तथा संदिग्ध चरित्र के व्यक्ति का पता लगायेंगे और आवश्यकतानुसार कार्रवाई करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि पंचायत स्तरीय तथा स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधियों से नियमित संपर्क में रहेंगे तथा उनसे सूचना संग्रहित करेंगे एवं क्षेत्र में कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो उस पर कार्रवाई करेंगे। साथ ही संदिग्ध गतिविधि की जानकारी प्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। विशेषकर राष्ट्र विरोधी तत्व, अतिवादी तत्व के सक्रियता पर भी नजर रखेंगे।

(अनुपालन:- अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/ प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी)

• **सामुदायिक सहयोग:-** सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अपने-अपने क्षेत्र के सभी समुदाय के लोगों से संपर्क में रहेंगे तथा उनमें पुलिस के प्रति विश्वास पैदा करेंगे एवं उनसे अपेक्षित सहयोग प्राप्त करेंगे। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि प्रशासनिक सहयोग हेतु सामाजिक कार्यकर्ता का सहयोग लेंगे तथा उनमें जागरूकता हेतु कार्यक्रम भी चलायेंगे।

(अनुपालन:- अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी)

• **संवेदनशील अवसंरचनाओं की सुरक्षा:-** उपस्थित सभी अनुमंडल पदाधिकारी तथा सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अपने-अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं एवं संस्थाओं यथा रेलवे स्टेशन, पावर सब-स्टेशन, दूरसंचार संस्थान, सरकारी संस्थान का निरीक्षण कर लें एवं संवेदनशील स्थलों तथा महत्वपूर्ण Installation को चिह्नित करते हुए सुरक्षा हेतु आवश्यक पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति एवं अन्य उपाय यथा CCTV, डोंग स्क्वाड आदि का उपयोग करें।

(अनुपालन:- अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी)

• **आपदा एवं संकट प्रबंधन :-** वर्तमान तनाव के मद्देनजर दंगा, प्राकृतिक आपदा, आतंकवादी गतिविधि एवं Cyber incident से निपटने हेतु पूर्व तैयारी सुनिश्चित कर लें। वर्तमान परिस्थिति में असामाजिक तत्वों एवं राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा दो समुदायों के बीच तनाव को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिस पर सतत निगरानी रखने की आवश्यकता है। समुदायों के बीच परस्पर विश्वास कायम रखने हेतु जागरूकता अभियान चलाना है, जिससे कि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, पूर्णिया को निदेश दिया गया कि जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र को 24X7 सक्रिय अवस्था में रखें। साथ ही सेटलाइट फोन को सुचारु एवं सक्रिय अवस्था में रखेंगे, ताकि आपातकालीन स्थिति में उसका उपयोग किया जा सके।

(अनुपालन:- अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्णिया/ प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, पूर्णिया)

• **संचार सुरक्षा तथा IT Surveillance :-** इस संबंध में जिला पदाधिकारी कार्यालय में कार्यरत IT Manager/IT Assistant को निदेश दिया गया कि प्रतिदिन सुबह एवं शाम पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कार्यरत कंट्रोल रूम में जाकर आवश्यक Monitoring कर लेंगे ताकि किसी प्रकार की तकनीकी समस्या होने पर तुरंत समाधान किया जा सके।

(अनुपालन:-जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, IT Manager/IT Assistant)

• उपस्थित सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि Social Media यथा WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram आदि पर दिये गये Fake News एवं रूढ़िवादी प्रसंगों पर विशेष नजर रखते हुए अविलंब संज्ञान लेंगे तथा नियमानुसार समुचित कार्रवाई संबंधित व्यक्ति तथा समूह पर करेंगे। साथ ही, अफवाहों को संचालित/प्रसारित करने वाले व्यक्तियों एवं समूहों पर नजर रखेंगे।

(अनुपालन:- जिला पदाधिकारी/ पुलिस अधीक्षक/ सभी अनुमंडल पदाधिकारी/ सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी,/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी तथा सभी थानाध्यक्ष, पूर्णिया)

• जिला में PD Cases में दिनांक-01.01.2025 से 30.04.2025 की अवधि में निष्पादितवादों का प्रतिशत मात्र 3.45 है एवं BW निष्पादन का प्रतिशत 6.11 है। PD Cases, BW / DW Cases में तेजी लाने का निदेश दिया गया। SC/ST के मामलों में ससमय Charge Sheet दाखिल करने का निदेश दिया गया। Security Proceeding के तहत सभी थाना के स्तर पर वर्तमान सुरक्षा माहौल में Trouble Makers को चिन्हित करते हुए कार्रवाई (Bond Execution) करने का निदेश दिया गया। सभी अनुमंडल दंडाधिकारी को निदेश दिया गया कि पूर्व में निर्गत किये गये जितने बंध पत्रों में उल्लंघन हुये हैं, उसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध करावें।

• साम्प्रदायिक मामलों में पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया को सतर्क रहने का निदेश दिया गया। संवेदनशील स्थानों विशेषकर मंदिर, मस्जिद आदि की सूची तैयार कर Surveillance की व्यवस्था की जाय। स्थानीय स्तर पर चौकीदार को आवश्यक निगरानी हेतु जिम्मेवारी निर्धारित करने का निदेश दिया गया। धार्मिक स्थल के समक्ष आपत्तिजनक सामग्रियों को फेंकने तथा साम्प्रदायिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास इस क्षेत्र में पूर्व से रहा है। अतः इस पर पूरी निगरानी रखने का निदेश दिया गया। जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक अपने स्तर से समीक्षा कर पूरी निगरानी रखेंगे।

• समीक्षा बैठक में शस्त्र अनुज्ञप्ति दुकानों का सत्यापन, शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदनों का निस्तार, CCA के तहत दर्ज मामलों की स्थिति तथा वक्फ विरोध प्रदर्शन की Monitoring पर आवश्यक निदेश दिया गया।

7. **अग्निशमन :-** अग्निशमन पदाधिकारी, पूर्णिया को निदेश दिया गया कि किसी भी अग्निकांड की स्थिति से निपटने हेतु अग्निशमन गाड़ियों तथा कर्मियों को सक्रिय रखेंगे। अग्निशमन कार्यालय के दूरभाष को 24X7 चालू रखेंगे। किसी भी स्थिति में अग्निकांड की आपदा से निपटने हेतु आवश्यक संसाधन जिला में उपलब्ध रखने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- जिला पदाधिकारी/जिला अग्निशमन पदाधिकारी)

8. **उत्पाद विभाग:-** समीक्षा के क्रम में उत्पाद विभाग के अधीक्षक को निदेश दिया गया कि जब्त वाहनों की नीलामी तथा जब्त शराब के विनिष्टीकरण विभागीय प्रावधानों के अंतर्गत किया जाय।

9. **जिला शिक्षा कार्यालय:-** अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त कतिपय परिवाद के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह परिलक्षित हो रहा है कि विद्यालय साफ-सफाई हेतु एजेंसी द्वारा स्वीपर को काफी कम राशि का भुगतान किया जा रहा है। जबकि उनके द्वारा विभागीय मापदंड के अनुसार काफी अधिक राशि का भुगतान प्राप्त किया गया है। इस संबंध में उप विकास आयुक्त, पूर्णिया को निदेश दिया गया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्णिया के साथ इस

मामले की जाँच करें तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि संबंधित एजेंसी द्वारा स्वीपर को समानुपातिक राशि का भुगतान किया गया है।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, पूर्णिया)

10. चिकित्सीय व्यवस्था:- अधीक्षक, GMCH/ सिविल सर्जन, पूर्णिया को निदेश दिया गया कि किसी भी आपातकालीन अवस्था से निपटने हेतु राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/सदर अस्पताल सहित सभी अस्पतालों को 24X7 सभी प्रकार की दवाओं, चिकित्साकर्मी एवं पारा मेडिकल स्टॉफ के साथ सक्रिय रखेंगे। साथ ही उन्हें निदेश दिया गया कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन एवं रक्त प्लाज्मा की व्यवस्था भी रखेंगे। सभी एम्बुलेंस को सक्रिय, सुचारू एवं चलायमान अवस्था में रखेंगे।

राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में 'रोगी कल्याण समिति' का गठन शीघ्र करने का निदेश दिया गया।
(अनुपालन:-अधीक्षक, GMCH/ सिविल सर्जन, पूर्णिया)

11. परिवहन विभाग:- वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लंबित मामले, M.V.I के पास वाहनों के Fitness के मामले तथा वाहनों के निबंधन का नवीकरण की समीक्षा की गयी। M.V.I के पास 235 आवेदन लंबित पाया गया, जो खेदजनक स्थिति है। विद्यालय वाहन परिचालन विनियमन (बाल परिवहन) के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर समिति का गठन, विद्यालय वाहन जाँच की स्थिति तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों पर कार्रवाई की समीक्षा की गई। बाल परिवहन के संबंध में जिला स्तरीय समिति का बैठक प्रत्येक तीन माह पर करने का निदेश दिया गया।

12. पंचायत सरकार भवन :- पूर्णिया जिला अंतर्गत कुल-230 पंचायत भवन में से 30 निर्मित तथा 195 निर्माणाधीन है। LAEO के द्वारा 81 में 79 का टेंडर हो गया है, 2 का टेंडर होना शेष है तथा BCD द्वारा 87 में से 72 पर कार्य प्रारंभ है। इस संबंध में लंबित मामले का निष्पादन कराते हुए कार्य प्रारंभ करने का निदेश जिला पदाधिकारी को दिया गया। साथ ही जिन पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है उसे माह अगस्त तक पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:-जिला पदाधिकारी/जिला पंचायती राज पदाधिकारी, पूर्णिया)

13. केन्द्रीय कारा, पूर्णिया में कैदी क्षमता, बैरक की स्थिति, रसोई तथा अन्य के संबंध में समीक्षा की गयी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए अधीक्षक को निदेश दिया गया कि जेल के अंदर की गतिविधियों पर विशेष रूप से सतर्क रहा जाय।

(अनुपालन:-अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, पूर्णिया)

14. कार्यालयों की स्वच्छता एवं सौंदर्यीकरण :- समाहरणालय स्थित कार्यालय का साफ-सफाई तथा रंग रोगन का निरीक्षण किया गया, जो संतोषप्रद नहीं पाया गया। कार्यालय को सुव्यवस्थित रखें, अनावश्यक वस्तुएं हटाई जाएं, पुरानी संचिका को अलग रखें तथा महत्वपूर्ण संचिका सुरक्षित रखा जाय।

15. जिला स्तरीय कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय तथा नगर निकाय के कार्यालय का निरीक्षण वरीय पदाधिकारी के माध्यम से समय-समय पर कराने का निदेश जिला पदाधिकारी को दिया गया। आवासीय विद्यालयों का जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों के माध्यम से निरीक्षण कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:-जिला पदाधिकारी, पूर्णिया)

16. मुख्य सचिव, बिहार, पटना द्वारा मंगलवारीय VC के माध्यम से की जा रही समीक्षा में पूर्णिया जिला के संदर्भ में निम्नांकित बिन्दु पर ध्यान देने की आवश्यकता है :-

(क) बिहार अपराध अधिनियम की धारा-3(3) तथा धारा-12(2) के मामले। NHRC के जिला पदाधिकारी, पूर्णिया के स्तर पर 6 लंबित मामले एवं पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के स्तर पर 10 लंबित मामले का शीघ्र निष्पादन करने का निदेश दिया गया।

(ख) आयुध अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत विनिर्माण ईकार्ड/शस्त्र प्रतिष्ठान/दुकानों के शस्त्र एवं कारतूस के छः माही निरीक्षण से संबंधित प्रतिवेदन तथा जब्त अवैध शस्त्रों की विवरणी विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

(ग) पूर्णिया जिला में कब्रिस्तान घेराबंदी के कुल स्वीकृत योजनाओं की संख्या 261 के विरुद्ध 254 योजनाएँ पूर्ण हैं एवं 7 योजनाएँ लंबित हैं। लंबित मामलों का निष्पादन यथाशीघ्र करने का निदेश दिया गया।

(घ) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज प्राथमिकी एवं माननीय न्यायालय में समर्पित आरोप पत्र पर मुआवजा स्वीकृति हेतु लंबित मामलों का शीघ्रता से निष्पादन किया जाय।

(ङ.) पि0 वर्ग एवं अति पि0 वर्ग कल्याण विभाग:- अन्य पिछड़ा वर्ग बालक आवासीय +2 उच्च विद्यालय हेतु प्रमंडलीय जिला मुख्यालय में 5 एकड़ भूमि एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर बालिका छात्रावास हेतु 1 एकड़ भूमि विभाग को अविलंब उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। आवासीय विद्यालयों का जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों के माध्यम से निरीक्षण कराने का निदेश दिया गया।

(च) समाज कल्याण विभाग:- समाज कल्याण विभाग की समीक्षा में महिला पर्यवेक्षिका का नियोजन औपबंधिक मेधा सूची के स्तर पर लंबित पाया गया तथा सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियोजन हेतु रोस्टर अनुमोदन के उपरांत भी विज्ञापन का प्रकाशन लंबित है। पुलिस लाइन में पालना घर तथा अल्पावास गृह का कार्य लंबित पाया गया। जिला में टेक होम राशन वितरण हेतु Facial Recognition System की स्थिति राज्य के औसत प्रगति प्रतिशत (26%) से कम है।

(छ) कृषि विभाग :- खुशकीबाग में कृषि फार्म बाउंड्री के निर्माण में हो रहे विलंब तथा 2.5 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण की समस्या की समीक्षा की गयी तथा आवश्यक निदेश दिया गया।

(ज) सामान्य प्रशासन विभाग:- पूर्णिया जिला द्वारा जाति आधारित गणना से संबंधित डी0सी0 विपत्र जो विभाग को उपलब्ध कराया गया है, उसमें त्रुटियाँ परिलक्षित होने के कारण विभाग द्वारा वापस की गई है। उक्त विपत्र त्रुटियों के निराकरण कर पुनः सामान्य प्रशासन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाय। बिहार प्रशासनिक सेवा से संबंधित पूर्णिया जिला में 03 परिवाद/आरोप लंबित है। उक्त मामलों की सुनवाई पूरी कर विभाग को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

अन्यान्य :- बैठक में Specific रूप से परिलक्षित निम्नांकित बिन्दु पर कार्रवाई का निदेश दिया गया :-

(1) डॉ अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत लगभग 2998 वास भूमि का आवेदन प्राप्त हुआ है। इन आवेदनों का नियमानुसार शीघ्र निस्तार कराकर अनुमान्य परिवारों को सरकार के निदेश के आलोक में वास भूमि उपलब्ध कराया जाय। तथा उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्राथमिकता के आधार पर आच्छादित किया जाय। इस कार्य को सफलता पूर्वक सुनिश्चित करने हेतु सभी अनुमंडल पदाधिकारी को कार्यभारित किया जाता है।

(2) यह पाया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृति के उपरांत प्रथम किस्त के भुगतान में काफी अधिक मामला लंबित है। यह बताया गया कि अन्य तकनीकी कारणों के साथ साथ एक ही व्यक्ति के कई आधार कार्ड होने के मामला दृष्टिगत पाया गया है। तकनीकी कारणों का शीघ्र निस्तार कराते हुए प्रथम किस्त की राशि का भुगतान किया जाय। अवैध रूप से Multiple आधार कार्ड के मामलों की जाँच कराते हुए उक्त गैर कानूनी कार्य के लिए दोषी लोगों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय।

(3) अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, पूर्णिया को आदेश दिया जाता है कि आयुक्त कार्यालय से निर्गत पत्रों के आलोक में आवश्यक जाँच/कार्रवाई कर यथासमय प्रतिवेदन उपलब्ध करावें। पूर्णिया पूर्व अंचल का सप्ताह में कम से कम 2 बार औचक जाँच करें। तथा उपस्थित आमजनों की समस्या को सुनकर समाधान हेतु कार्रवाई करें। कई Specific परिवाद आयुक्त कार्यालय से जाँच हेतु भेजा गया है। जिसपर त्वरित रूप से जाँच

कर आवश्यक कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। साथ ही पूर्णिया शहर के सरकारी जमीन का निजी व्यक्तियों द्वारा जमाबंदी कायम करवाने के कई मामले संज्ञान में आये हैं। जिसके संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, पूर्णिया को जाँच/कार्रवाई हेतु कई पत्र भेजा गया है। परन्तु अभी तक यथेष्ट कार्रवाई नहीं हुआ है। विशेषकर पूर्णिया पूर्व अंचल के मौजा-माधोपाड़ा के खाता संख्या - 77 एवं 79 के संबंध में आवश्यक जाँच करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई करने का निदेश अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, पूर्णिया को दिया गया। इन मामलों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

(4) उप विकास आयुक्त, पूर्णिया को आदेश दिया जाता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग की विशेष रूप से समीक्षा करें। तथा मुख्य सचिव महोदय के सप्ताहिक Video Conferencing में चिन्हित लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण करावें।

(5) बाढ़ कटाव पीड़ित परिवारों को पुनर्वासन हेतु जमीन उपलब्ध कराने की गति काफी धीमी है। संबंधित अपर समाहर्ता इस पर विशेष ध्यान देते हुए नियमानुसार समुचित रूप से प्रस्ताव तैयार कराते हुए अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे। दिनांक 28.04.2025 को बायसी अंचल के किए गये निरीक्षण में यह पाया गया था कि ताराबाड़ी पंचायत के 70 परिवारों के पुनर्वासन का मामला लंबित है। आज के समीक्षा बैठक में यह विदित हुआ कि आज तक प्रस्ताव तैयार करने का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। जो खेद जनक है। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, बायसी को स्थिति स्पष्ट करने का निदेश दिया जाता है।

बैठक के अंत में सभी पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि वे संवेदनशीलता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करें और समाज के सबसे निचले स्तर के व्यक्ति को सरकार की बहुउद्देशीय योजनाओं का लाभ समय पर पहुँचाना सुनिश्चित करें।

अंत में बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गयी।

६०१-

आयुक्त

पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांक2902...../

पूर्णिया, दिनांक...19-05-25.....

- प्रतिलिपि :-
1. जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
 2. विंग कमांडर, एयरफोर्स, चुनापूर/पुलिस उप महानिरीक्षक, S.S.B., पूर्णिया को सूचनार्थ प्रेषित।
 3. नगर आयुक्त, नगर निगम, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
 4. उप विकास आयुक्त/अपर समाहर्ता, राजस्व/अपर समाहर्ता/प्रभारी पदाधिकारी, सामान्य शाखा, सिविल डिफेंस पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
 5. अधीक्षक, GMCH/ सिविल सर्जन, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
 6. अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
 7. सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/समादेष्टा, अग्निशमन, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
 8. पूर्णिया जिलान्तर्गत सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निकाय तथा संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Page k.

19/5/2025.

आयुक्त

पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।